फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

ईश्वर सिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0–03/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि आराजी खाता संख्या वर्तमान 483 पुराना 298 तथा वर्तमान खाता संख्या 482 पुराना 297 वाके रामा टोरडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जो कि प्राथी की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम ईशरिया पुत्र रामकुवार दर्ज है जो कि बचपन के बोलते नाम ईशरिया के नाम से दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में सही नाम ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र रामकुवार है इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि ईश्वर एवं ईशरिया एक ही व्यक्ति है इसलिए शुद्धि किया जाना उचित है। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम ईश्वर सिंह गुर्जर दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम ईशरिया के स्थान पर ईश्वर सिंह गुर्जर दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	